बिल का सारांश

बॉयलर्स बिल, 2024

- बॉयलर्स बिल, 2024 को राज्यसभा में 8 अगस्त, 2024 को पेश किया गया। यह बिल बॉयलर्स, एक्ट, 1923 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट बॉयलर्स और बॉयलर्स कंपोनेंट्स की मैन्यूफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, प्रयोग और मरम्मत को रेगुलेट करता है ताकि सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित किया जा सके। बॉयलर एक ऐसे बर्तन या पात्र को कहा जाता है जिसमें दबाव से भाप उत्पन्न की जाती है। बिल एक्ट के सभी प्रावधानों को बरकरार रखता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि बिल का इरादा प्रावधानों की स्पष्टता को बढ़ाना है।
- एक्ट राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी क्षेत्र को एक्ट के कुछ या सभी प्रावधानों के क्रियान्वयन से छूट दे सकती है। वह केंद्र सरकार को रेगुलेशन बनाने के लिए केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड बनाने की शक्ति देता है। बॉयलर्स का रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन एक्ट के तहत अनिवार्य है। यह राज्य सरकारों को बॉयलरों के निरीक्षण और सर्टिफिकेशन के लिए निरीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार देता है। अन्य व्यक्तियों को भी निर्धारित तरीके के अनुसार निरीक्षण और सर्टिफिकेशन करने के लिए मान्यता दी जा सकती है। यह निरीक्षकों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने और दंड के निर्णय के लिए तंत्र भी निर्दिष्ट करता है।

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

सृष्टि सिंह
shrusti@prsindia.org

13 अगस्त, 2024